राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2635/2021

रामावतार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रारंभिक स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
3. वित्त सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, जिला बीकानेर (राज.)।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, दौसा, जिला दौसा (राज.)।
5. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, दौसा, जिला दौसा (राज.)।
6. पीईईओ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोट हर्दिया, ब्लॉक–महवा, जिला दौसा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.08.2021

आदेश की दिनांक : 19.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखदेव सिंह सोलंकी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, राजकीय प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.05.2019, 03.01.2019 एवं 31.12.2018 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4800 का लाभ दिनांक 01.07.2013 से तथा तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 5400 का लाभ दिनांक 01.07.2015 से अपीलार्थी सातवें

वेतनमान निर्धारण के आधार पर पे मेट्रिक्स एल–13 प्रदान करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 25.06.1988 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.10.1997 एवं 13.10.1997 के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर रिक्त पद के विरूद्ध समायोजित किया गया और उसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय गार्ड हिम्मत सिंह जिला दौसा पदस्थापित किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 13.10.1997 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी की सेवाएं दिनांक 01.07.1997 को 9/10 वर्ष की पूर्ण हुई और आदेश दिनांक 04.08.1997 के द्वारा अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी के निलंबित होने के कारण दिनांक 12.07.2018 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि अपीलार्थी की रोकी गई। अपीलार्थी की 18 वर्ष की सेवायें उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिनांक 01.07.2006 को पूर्ण हुई, जिसके अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2006 से आदेश दिनांक 24.09.2018 के द्वारा द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक ग्रेड तृतीय के वेतनमानों में अभिवृद्धि की गई और इस प्रकार अध्यापक ग्रेड तृतीय का वेतनमान ग्रेड पे 3600 प्रथम एसीपी 4200, द्वितीय एसीपी 4800 एवं तृतीय एसीपी 5400 की गई और इस प्रकार अपीलार्थी 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्तानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी/चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी की पदोन्नति नियम 6डी के तहत सेटअप परिवर्तन कर प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में आदेश दिनांक 17.09.2021 के द्वारा की गई और उसे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि यदि किसी कार्मिक की सेवायें समान ग्रेड पे पर दूसरे नये विभाग में बिना सेवाओं के ब्रेक किए ली जाती है और उसे समायोजित किया जाता है तो नये विभाग एवं पुराने/पूर्व के विभाग की दोनों की सेवा अवधियों को एसीपी का लाभ हेतु एक साथ जोडा जाएगा और इस गणना के आधार पर आलोच्य आदेश दिनांक 03.01.2019 एवं 30.05.2019 अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.05.2019,

03.01.2019 एवं 31.12.2018 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4800 का लाभ दिनांक 01.07.2013 से तथा तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 5400 का लाभ दिनांक 01.07.2015 से अपीलार्थी सातवें वेतनमान निर्धारण के आधार पर पे मेट्रिक्स एल–13 प्रदान करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय प्रभारी अधिकारी ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा ग्रेड पे को संशोधित करते हुए अध्यापक पद की ग्रेड पे 3600 की गई। वहीं प्रयोगशाला सहायक पद की ग्रेड पे 2800 निर्धारित की गई और अध्यापक पद को चयनित वेतनमान हेतु ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 और प्रयोगशाला सहायक के पद हेतु चयनित वेनतमान ग्रेड पे 3600, 4200 एवं 4800 अनुमत की गई। अपीलार्थी अध्यापक पद की अपेक्षित योग्यता धारित नहीं करता है और अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के अनुसार अध्यापक पद की अपेक्षित योग्यता अर्जित नहीं किए जाने के कारण प्रयोगशाला सहायक के पद के अनुसार ही 27 वर्षीय चयनित वेतनमान आदेश दिनांक 31.12.2018 के द्वारा ग्रेड पे 4800 में स्वीकृत किया गया है। राजकीय प्रभारी अधिकारी ने अधिकरण के समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच द्वारा डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 18506/2011 श्री शंकर सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.04.2013, जिसमें प्रयोगशाला सहायक से अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में समायोजित उपरांत बी.एड./एसटीसी योग्यता अर्जित नहीं किए जाने पर अध्यापक के पद की चयनित वेतनमान का लाभ एवं वरिष्ठ वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का हकदार नहीं बताया है। अपीलार्थी भी प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर विभाग द्वारा समायोजित किया गया, परंतु अपीलार्थी ने बी.एड./एसटीसी योग्यता अर्जित नहीं की है और इस प्रकार उक्त विधि एवं अधिसूचना के आधार पर अपीलार्थी अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान का लाभ या अध्यापक पद की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय प्रभारी अधिकारी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड में 3500 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रूपये है। परंतु अपीलार्थी को अध्यापक के पद के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ विभाग द्वारा प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक पद से अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है, परंतु अपीलार्थी द्वारा बी.एड./एसटीसी योग्यता अर्जित नहीं किये जाने पर अपीलार्थी अप्रशिक्षित अध्यापक है और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.08.1998, जिसके बिंदु संख्या 14 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

> *"The Laboratory Assistants absorbed on the post of Teacher and who do not possess qualifications of STC/B.Ed. shall continue to draw pay in the pay scale of 4000-6000 till they acquire qualification of STC/B.Ed. The senior scale and selection scale shall be admissible to them as admissible to Laboratory Assistants as per these orders."*

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 18506/2011 श्री शंकर सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.04.2013, जिसमें प्रयोगशाला सहायक से अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में समायोजित उपरांत बी.एड./एसटीसी योग्यता अर्जित नहीं किए जाने पर अध्यापक के पद की चयनित वेतनमान का लाभ एवं अध्यापक पद की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का हकदार नहीं बताया है। अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर विभाग द्वारा समायोजित किया गया, परंतु अपीलार्थी ने बी.एड./एसटीसी योग्यता अर्जित नहीं की है और इस प्रकार उक्त विधि एवं अधिसूचना के आधार पर अपीलार्थी अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान का लाभ या अध्यापक पद की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल न होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य